मुरली मनोहर बगै० बनाम बाबूलाल बगै०

| तारीख व क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| दावा | मु.नं०- 61/2019 | |

13.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 5594/भू.अ./19 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने बाबत अवगत कराते हुए प्राप्त प्रारंभिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आज ही अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस व सहमति के आधार पर तहसीलदार (भू0अ0) श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17.10.2019 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 5594/भू.अ./2019 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 5594/भू.अ./2019 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग बनाया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी भाँति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner